संख्या–731 /X–2–2018–1(3)2017

प्रेषक,

आर0के0तोमर,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 26 जुलाई, 2018

विषयः मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–16/2017 "हरिपुर–नवादा जंगल मार्ग को ग्रीन रोड़ की तर्ज पर विकसित" के क्रियान्वयन हेतु धनावंटन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या–67/X–2–2018–01(03)2017 दिनांक 23.12.2018 द्वारा मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा संख्या–16/2017 "हरिपुर–नवादा जंगल मार्ग को ग्रीन रोड़ की तर्ज पर विकसित" के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2017–18 में ₹16.14 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी जो कतिपय कारणो से व्यय न पाने के कारण राज्य सरकार को समर्पित कर दी गयी।

2– उक्त शासनादेश दिनांक 23.012.18 को निरस्त करते हुए प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड के पत्र संख्या–नि0–2178/17–8 (घो.सं.–16/2017) दिनांक 23.04.2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त विषयक घोषणा के क्रियान्यवन हेतु प्रस्तावित निम्नलिखित तीन कार्यो हेतु प्राप्त आगणन कुल लागत ₹45.00 लाख, टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त उनके सम्मुख कॉलम–4 के अनुसार औचित्यपूर्ण लागत ₹40.35 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2018–19 में कॉलम–5 अनुसार प्रथम किस्त की धनराशि ₹16.14 लाख (रुसोलह लाख चौदह हजार मात्र) अवमुक्त कर व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय निम्न शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(लागत लाख ₹ में)

क्र. स.	कार्य का नाम	आगणन की मूल लागत	टी.ए.सी. के परीक्षणोपरान्त औचित्यपूर्ण लागत	आवंटित धनराशि
1	2	3	4	5
1	हरिपुर नवादा जंगल रोड़ की ग्रीन रोड़ की तर्ज पर विकसित करना के निमित्त सी.सी. कार्य	36.572	35.85	14.34
2.	हरिपुर नवादा जंगल रोड़ की ग्रीन रोड़ की तर्ज पर विकसित करना के निमित्त वृक्षारोपण कार्य	7.692	3.75 (अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार)	1.50 (अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार)
3	द्वितीय एवं तृतीय वर्ष का अनुरक्षण कार्य।	0.756	0.75 (अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार)	0.30 (अधिप्राप्ति नियमावली के अनुसार)
	योग	**45.020**	**40.35**	**16.14**

1. कार्य हेतु वित्त विभाग के शासनादेश संख्या–245/XXVII(7)/2012 दिनांक 22.11.2012 के अनुसार सक्षम स्तर से वित्तीय/प्रशासनिक और तकनीकी/प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त ही आवंटित धनराशि का आहरण एवं व्यय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा। बिना प्रशासनिक/ वित्तीय/तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किये अवमुक्त धनराशि व्यय किये जाने पर वित्तीय अनियमितता मानते हुए सम्बन्धित के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
2. वित्तीय वर्ष 2017–18 में उक्त कार्य हेतु अवमुक्त धनराशि आहरित न होने का कोषागार, देहरादून का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही सम्बन्धित को धनराशि आवंटित की जाए।
3. कार्य को कराये जाने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि सम्बन्धित कार्य अन्य विभागीय योजनाओं में पूर्व से स्वीकृत/कराया न हो।

.....2

3. किसी भी शासकीय व्यय हेतु वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 (लेखा नियम) भाग–1 एवं खण्ड–7 (वन लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति (प्रॅक्योरमेंट) नियमावली, 2017, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।
4. कार्य पर मदवार उतना ही व्यय किया जाये जितनी मदवार धनराशि स्वीकृत की गयी है। स्वीकृति धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाए।
5. कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरो/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।
6. निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाये तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाये।
7. आगणन में प्राविधानित डिजाईन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
8. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–2047/XIV–219 (2009) दिनांक 30.5.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।
9. स्वीकृत विस्तृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व शासन की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाये।
10. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
11. आवंटित धनराशि एक सप्ताह के भीतर सम्बन्धित को अवमुक्त कर दी जाए।
12. धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2019 तक कर लिया जाए तथा उक्त तिथि को अवशेष धनराशि राज्य सरकार को समर्पित कर दी जाए।

2– उक्त सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018–19 मे स्वीकृत आय–व्ययक के सापेक्ष अनुदान संख्या–27 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4406–वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय, 01–वानिकी, 101–वन संरक्षण और विकास, 03–वन मोटर मार्गों तथा अश्व मार्गों का सुदृढ़ीकरण के मानक मद 24–वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा। कम्प्युटरीकृत अलोटमैन्ट ID संख्या–S1807270208 दिनांक 23.07.2018 संलग्न है।

3– यह आदेश वित्त विभाग के अशा0प0संख्या–58/XXVII(4)/2017 दिनांक 19 जुलाई 2018 मे प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न : यथोक्त।

भवदीय,

(आर0के0तोमर)
संयुक्त सचिव

संख्या–731/X–2–2018–1(3)2017, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार (ए एण्ड ई), उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून।
2. प्रमुख वन संरक्षक, नियोजन एवं वित्तीय प्रबन्धन, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. आयुक्त गढ़वाल मण्डल, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित जिलाधिकारी।
5. वित्त अनुभाग–4/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
6. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून।
7. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून।
8. सम्बन्धित कोषाधिकारी/मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाईल।

(आर0के0तोमर)
संयुक्त सचिव

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20182019

Secretary, Forest (S016)

आवंटन पत्र संख्या - **731/X-2-2018-1(3)2017**

अलोटमेंट आई डी - **S1807270208**

अनुदान संख्या - **027**

आवंटन पत्र दिनांक -23-Jul-2018

HOD Name - Principal Chief Conservator of Forest (4260)

1: **लेखा शीर्षक** 4406 - वानिकी और वन्य जीवन पर पूंजीगत परिव्यय — 01 - वानिकी

101 - वन संरक्षण और विकास

03 - वन मोटर मार्गों तथा अश्व मार्गों का सुद्रढीकरण

00 - वन मोटर मार्गों का सुदढीकरण

Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
24 - वृहत निर्माण कार्य	0	1614000	1614000
	0	**1614000**	**1614000**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 1614000